

आवेदन पत्र के सम्बन्ध में जांच की गई। जिले के अनुसार राजस्व ग्राम सिंगनौर की जमा बनी है।

2075-78 खाता-584 के कर्जदार का नाम जगदेव राम पुत्र गच्छू री है जो गच्छू री के जी गच्छू री के आवेदन पत्र के आधार पर 13/11/2021 को जगदेव राम पुत्र गच्छू री के आवेदन पत्र के आधार पर जगदेव राम पुत्र गच्छू री का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है/उचित नहीं है। आवेदन का नाम दुरुस्त किया जाने की अभिराधा की जाती है / नहीं की जाती है।

क्रमांक : राजस्व/2020/

कार्यालय तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुदागौड़जी

दिनांक :-

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निवेदन है कि आवेदन पत्र में वर्तमान अनुसार आवेदन का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है/उचित नहीं है। आवेदन का नाम दुरुस्त किया जाने की अभिराधा की जाती है / नहीं की जाती है।

दुरुस्त किया जाना उचित है।

तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुदागौड़जी

न्यायालय उपखण्ड-अधिकारी एवं पदेन सहायक क्लर्क उदयपुरवाटी जिला बुंदेल (राज.)

- आदेश -

दिनांक :- 9-11-2021

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, सूत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (मू0अ0) उदयपुरवाटी/गुदागौड़जी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (मू0अ0) उदयपुरवाटी/गुदागौड़जी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जनाबन्दी संख्या	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1.	सिंगनौर	2075-78	584	जगदेव राम पुत्र गच्छू	जगदेव राम पुत्र गच्छू री 13/11/2021

नोट :- शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय पालना की जावे।

क्रमांक :- राजस्व/2020/885-886

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार (मू0अ0) उदयपुरवाटी/गुदागौड़जी को वास्ते पालनार्थ।
2. प्रार्थी/प्रार्थीया

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

दिनांक :- 9-11-2021

को सूचनार्थ।



उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी